BEFORE THE BOARD OF REVENUE,MADHYA

PRADESH, GWALIOR (M.P.)

REVENUE REVISION NO. /2017-18

APPLICANT :: Smt. Chunnibai W/O Ramnath Kol (Schedule Tribe) aged about 42 years, R/O Village Khudawal, Tahsil Manjhouli District Jabalpur, M.P.

VERSUS

RESPONDENT:: Shailendra Kumar S/O Vishwanath dhar Dubey aged about 42 years, R/O Ward No.8, Brahamin Pura, Sihora, Tahsil Sihora District Jabalpur M.P.

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE MADHYA PRADESH LANE REVENUE CODE, 1959.

Being aggrieved by the order dated 14-03-18 passed by Sub-Divisional Officer ® Sihora, arising out of order dated 27-10-2017 passed by Tahsildar Sihora in Revenue Case No. 158/A-6-A/2016-17, Copy of the order dated 14-03-18 and 27-10-17 attached as **ANNEXURE A-1 & A-2.** the applicant begs prefer this Revision on the following facts and grounds.

FACTS OF THE CASE

The applicant most humbly and respectfully submit as under:

1. That, the applicant aggrieved by the order dated 14-03-18 passed by the SDO (R) Sihora filed a Revision before the learned Collector U/S 50 (1) of the MPLR Code, 1959 which has been heard and same has been rejected by order dated 20-03-2018 holding that according to Section 50 (Aik) (1) of the MPLR Code the power of Revision vested with the Board of Revenue hence, the revision before

चुन्नीबाई विरूद्ध शैलेन्द्र

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निग0/जबलपुर/भू0रा0/2018/2096 जिला -जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/4/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी तहसीलदार, सिहोरा के प्रकरण क्रमांक 197/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 29-7-17 एवं अन्य आदेशों के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया एवं निगरानी आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण सीमांकन का है ! अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 15-6-17 को प्रकरण पंजीबद्ध सीमांकन दल को सीमांकन किए जाने के आदेश जारी किए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 27-6-17 नियत की गई एवं उसके उपरांत दिनांक 29-7-17 को राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए सीमांकन की पुष्टि करदी गई है । जबकि उक्त सीमांकन से संबंधित जो पंचनामा एवं प्रतिवेदन हैं वे दिनांक 31-7-17 के हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पूर्व ही सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि करदी गई है जो प्रथमदृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है और इससे आवेदक अधिवक्ता के इस तर्क को बल मिलता है कि सीमांकन की कार्यवाही एवं उसके पश्चात की गई नक्शा संशोधन की कार्यवाही अनावेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य की गई है । सीमांकन पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पटवारी द्वारा सीमांकन की कार्यवाही आवेदक के बताए अनुसार करदी है अन्य जो सरहदी काश्तकार हैं उनको सूचना दिए जाने या उनकी उपस्थिति में सीमांकन किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार यह पाया जाता है कि तथाकथित सीमांकन की कार्यवाही एवं पारित आदेश संहिता के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है । अतः यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों एवं अन्य सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचना देकर प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही तीन सदस्यीय दल बनाकर विधिवत करें । प्रशासकीय सदस्य	